



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082026-275715
CG-DL-E-24082026-275715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4480]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4480]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4663(अ).— केन्द्रीय सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 755(ई) दिनांक: 12/02/2026 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग द्वितीय, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (48 ऑफ 1956) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई, केंद्र सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को ओडिशा राज्य के खोरधा जिले के गुरुजंग गांव में एनएच-57 पर किमी. 294.000 से किमी. 300.300 तक भूमि के खंड पर एनएच-57 के "खोरधा शहर तक बाईपास के निर्माण" के लिए अधिग्रहण करने का अपना आशय घोषित किया।

और जबकि उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3ए की उपधारा (3) के अंतर्गत दिनांक १०.०४.२०२६ को "प्रगतिवादी" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया है;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

ओडिशा राज्य के खोरधा जिले के गुरुजंग गांव में एनएच-57 पर किमी. 294.000 से किमी. 300.300 तक भूमि के खंड पर एनएच-57 के "खोरधा शहर तक बाईपास के निर्माण" के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: खोर्धा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: खोर्धा					
गांव का नाम: गुरुजंगा					
1	९१६ / २६१३	निजी	रेसिडेंशियल	0.0012	कल्याणी भुजबल
2	९१६ / ३२७९	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0065	रामभरानी महापात्र
3	९१७	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0101	अनाबादी ओडिशा गवर्नमेंट
Total				0.0178	

[फा. सं. RO/BBSR/11017/By-passes/100/2018/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4663(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O.755(E) Dated:12/02/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for "Construction of By-Pass to Khordha Town" of NH-57 on the stretch of land from Km.294/000 to Km. 300/300 on NH-57 in village namely Gurujanga in the district of KHORDHA .

And whereas the substance of the said notification has been published in "*Pragativadi*" and "*Times of India*" both dated.10.04.2026 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures "Construction of By-Pass to Khordha Town" of NH-57 on the stretch of land from Km.294/000 to Km. 300/300 on NH-57 in village namely Gurujanga in the district of KHORDHA in the state of ODISHA.

State: ODISHA			District: KHORDHA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Khordha					
Village: Gurujanga					
1	916/2613	Private	Residential	0.0012	Kalyani Bhujabal
2	916/3279	Private	Non Agriculture	0.0065	Rambharani Mahapatra
3	917	Government	Non Agriculture	0.0101	Anabadi Odisha Government
Total				0.0178	

[F. No. RO/BBSR/11017/By-passes/100/2018/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director